न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 105 /2021

उनवान

मोहन पिता देवा बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा

– प्रार्थी

बनाम

1–4 कलुड़ी, कैलाश, चन्दु, नैनी पिता देवा बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
5– प्रेम पत्नी मदन बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
6– बदाम पुत्री देवा बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
7–चिपटीया पत्नी बहादुर बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
8– अक्षय पुत्र बहादुर बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
9–10 मुरली, वकील पुत्र देवा संरक्षक स.प्र. माता प्रेम बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
11– सरूपी पुत्री देवा बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
12– देवा पुत्र भाणा बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
13– रतन पुत्र परसा बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
14– भैरू पुत्र मेघा बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
15– बिहारी उर्फ बल्ला पुत्र जीवा बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
16– नारायण पुत्र करमा बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
17– कालु पुत्र मुंशी बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
18– जस्सा पुत्र खेता बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
19– गोरू पुत्र नाथु बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
20– जगदीश पुत्र करमा बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
21– वकील पुत्र परसा बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
22– गोरू पुत्र दल्ला बंजारा निवासी संतोषपुरा माताजी का खेड़ा तहसील शाहपुरा
23– सुवा पुत्र हाथी भील निवासी टोपा तहसील शाहपुरा
24– देवी पुत्र हरदेव भील निवासी टोपा तहसील शाहपुरा
25– शाखा प्रबंधक भूमि विकास बैंक शाखा शाहपुरा
26– शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शाहपुरा
27– तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– विपक्षीगण

उपस्थिति :– श्री दिनेश चन्द्र व्यास
अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 19.09.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है – ग्राम **संतोषपुरा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा** तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित **आराजी नम्बर 164 रकबा 1.05 है0, 186 रकबा 1.35 है0, 170 रकबा 0.16 है0, 202 रकबा 0.71 है0, 142 रकबा 1.35 है0, 209 रकबा 0.26 है0, 143 रकबा 0.04 है0, 123 रकबा 0.70 है0** कुल किता 8 रकबा **5.62** हैक्टेयर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर **विपक्षीगण** को जरिये सम्मन तलब किया गया। **विपक्षीगण संख्या 5, 7 लगायत 10, 12, 14 लगायत 20, 22 लगायत 27** बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा **विपक्षीगण सं0 1 लगायत 4, 6, 11, 13, 21** के विरूद्ध अभिभाषक प्रार्थी के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी **ग्राम संतोषपुरा पटवार हल्का माताजी का खेड़ा संवत 2075 से 2078** तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् **प्रार्थी के खातेदारी में** दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। अतः **प्रार्थी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा **संतोषपुरा** में स्थित प्रार्थी की उपरोक्त **सहखातेदारी** की आराजीयात् किता **8 रकबा 5.62 हैक्टेयर** की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर **फीस 2000/– रूपये** कायम किये जाते है, जो प्रार्थी से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **19.09.2022** को सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज. सत्यमेव जयते

प्रतिलिपि :– तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा